महत्त्वपूर्ण / संवाच्य प्राथमिकता

अर्द्धशा0प0सं0: 151 / 28–ली0से0–2005

डा0 राजा राम
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग(लीगल सेल)

लखनऊ:: दिनॉक 07, जून, 2005

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मध्य पदों का विभाजन तथा कार्मिकों के आवंटन किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–76 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अपनी सहायता के लिए राज्य परामर्शीय समिति का गठन किया गया है । कार्मिकों के राज्य आवंटन तथा उनसे प्राप्त प्रत्यावेदन पर सम्यक विचार करने के पश्चात राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियॉ भारत सरकार को अन्तिम निर्णय लिए जाने हेतु प्रेषित कर दी जाती हैं । इसके उपरान्त भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–73(2) के अन्तर्गत कार्मिकों के उत्तरांचल राज्य अथवा उत्तर प्रदेश राज्य में अन्तिम आवंटन आदेश जारी किये जाने की व्यवस्था है ।

2– राज्य परामर्शीय समिति के संज्ञान में यह तथ्य कई बार लाये गये हैं कि उत्तर प्रदेश / उत्तरांचल में काफी बड़ी संख्या में कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ / नैनीताल (उत्तरांचल) एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में राज्य आवंटन के संबंध में रिट याचिकाएँ / विशेष अनुज्ञा याचिकाएँ दाखिल की गयी हैं । इनमें याची द्वारा अपने प्रशासनिक विभाग को मुख्य प्रतिवादी पार्टी बनाया जाता है एवं साथ में राज्य परामर्शीय समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग को प्रोफार्मा पार्टी बनाया जाता है । उपरोक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह स्पष्ट करना है कि याची के प्रशासनिक विभाग होने के फलस्वरूप इन याचिकाओं पर विधि संगत समस्त कार्यवाही प्रशासनिक विभाग को ही करनी है । यदि प्रशासनिक विभाग मा0 न्यायालय में प्रतिशपथपत्र दायर करने का निर्णय लेता है अथवा याची द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका का विरोध करने का निर्णय लेता है तो प्रशासनिक विभाग को उपरोक्त उल्लिखित तीनों प्रोफार्मा पार्टी को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रतिशपथपत्र मा0 न्यायालय में दाखिल करना होगा । दोनों राज्यों के मध्य राज्य सरकार सेवा संवर्ग के पदों का विभाजन, बंटवारा से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन / नीति विषयक शासनादेश पहले ही आपको प्रेषित किये जा चुके हैं । अतः इनसे सम्बन्धित पैराज को स्टैंडिंग काउन्सिल से प्रतिशपथपत्र तैयार कराने के पश्चात् सदस्य सचिव, राज्य परामर्शीय समिति की सहमति मा0 न्यायालय में दाखिल करने के पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाया करे ।

भवदीय

(डा0 राजा राम)

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्याः (1)/28–ली0से02005 तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रतिलिपि में आपको इस आशय से प्रेषित कर रहा हूँ कि श्री उत्तरांचल शासन के सम्बन्धित विभागों से समन्वयोपरान्त उक्त कार्य निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(डा0 आर0एस0 टोलिया)

डा0 आर0एस0 टोलिया
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

संख्याः (2)/28–ली0से02005 तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रतिलिपि में आपको सूचनार्थ प्रेषित कर रहा हूँ ।

भवदीय

(डा0 आर0एस0 टोलिया)

श्री विश्वनाथ आनन्द
अध्यक्ष,
राज्य परामर्शीय समिति,गेट नं0–31,
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम,लोधी रोड,
नई दिल्ली ।

संख्याः (3)/28–ली0से02005 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ :–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की न्यायपीठ, लखनऊ ।
3. श्रीमती वीना पाण्डेय, स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल ।
4. श्रीमती अंजिली राय, स्थायी अधिवक्ता, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।

आज्ञा से

(एस0के0 अग्रवाल)
अपर सचिव ।